न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 18/2022 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. कमला पत्नि घनश्याम जाति भडभूंजा निवासी बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 17.12.2004 जिसके तहत प्रार्थी कमला पत्नि घनश्याम को ग्राम बिवाई में खसरा नम्बर 1230/1166 रकबा 0.25 है. का आवंटन किया गया है)

उपस्थिति : श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थी बावजूद तामील बहस के दौरान अनुपस्थित।

–:निर्णयः– दिनांकः 29.08.2024

संक्षिप्त में तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा में कमला पत्नि घनश्याम को भूमि खसरा नम्बर 1230/1166 रकबा 0.25 है. दिनांक 17.12.2004 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। उक्त आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 27.02.2005 से दर्ज किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 285 पर गैर खातेदारी का खाता दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि की मौका जांच पटवारी हल्का से करवाई जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2019 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होना पाया तथा मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने से एवं भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण आवंटन शर्तो की पालना नहीं होना पाया जाने से आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी बाद तामील न्यायालय में उपस्थित हुआ किन्तु अप्रार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुई। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बिवाई तहसील बसवा में घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति भडभून्जा निवासी बिवाई को खसरा नम्बर 1230/1166 रकबा 0.25 है. भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की शर्तो के अनुसार दिनांक 17.12.2004 को आवंटित की गई थी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 27.02.2005 दर्ज किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2074 के खाता संख्या 85 पर गैर खातेदारी का खाता दर्ज किया गया। उक्त आवंटी घनश्याम पुत्र भडभून्जा के फौत हो जाने के कारण उक्त भूमि कमला पत्नि घनश्याम, प्रवेश, महेश, योगेश पि0 घनश्याम जाति भडभून्जा निवासी बिवाई के नाम दर्ज है। उक्त आवंटित की गई भूमि की मौका जांच पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का बिवाई से करवाये जाने पर मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2019 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होना पाया गया है। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं पाये जाने के कारण आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाकर की रिपोर्ट दिनांक आवंटन की शर्तो के मुताबिक आवंटी को भूमि आवंटन के दो वर्ष के अवधि में भूमि को तैयार कर उस पर काश्त करना अनिवार्य है। इसी शर्त के साथ आवंटी को भूमि आवंटित की गई थी, किन्तु आवंटी का आवंटनशुदा भूमि पर न तो कभी कोई कब्जा रहा और ना ही भूमि पर आवंटी द्वारा कोई काश्त की गई। आवंटी द्वारा आवंटन का शतों का उल्लंघन करने से उक्त आवंटन दिनांक 17.12.2004 निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:32 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अनुसार दिनांक 17.12.2004 को घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति भडभून्जा निवासी बिवाई को ग्राम बिवाई स्थित खसरा नम्बर 1166 में से 0.25 है. भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 27.02.2005 के द्वारा आवंटी घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई है। घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल के फौत हो जाने पर उक्त आवंटित भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 464 दिनांक 05.11.20014 के द्वारा उक्त भूमि कमला पत्नि घनश्याम, योगेश, महेश, प्रवेश पुत्र घनश्याम जाति भडभून्जा के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड की गई है। किन्तु तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) कमला पत्नि घनश्याम के विरूद्ध ही प्रस्तुत किया गया है, अन्य गैरखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 में कमला, प्रवेश, महेश, योगेश प्रत्येक का हिस्सा 1/4 गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 21.08.2019 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होना एवं आवंटी द्वारा भूमि पर काश्त नहीं किया जाना व्यक्त करने पर आवंटन आदेश दिनांक 17.12.2004 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है, किन्तु तहसीलदार बसवा द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार आवंटन की शर्तो के मुताबिक आवंटी को भूमि आवंटन के दो वर्ष के अवधि में भूमि को सुधार कर उस पर काश्त करना अनिवार्य है, इस शर्त के साथ भूमि आवंटन किया जाना किन्तु आवंटी द्वारा उक्त भूमि पर ना तो कभी कोई कब्जा रहा और ना ही भूमि पर आवंटी के द्वारा कोई काश्त की गई। उक्त कथन के सम्बन्ध में आवंटन दिनांक 17.12.2004 के पश्चात् दो वर्ष के अन्दर आवंटित भूमि पर काश्त नहीं करने सम्बन्धित गिरदावरी एवं सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं की गई है तथा जमाबन्दी में दर्ज अन्य गैरखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है एवं आवंटन के 18 वर्ष बाद पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2071–2073 पेश की गई है। इसलिये आवंटन की शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में आवंटन दिनांक 17.12.2004 के पश्चात दो वर्ष की अपेक्षित तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने एवं जमाबन्दी में दर्ज अन्य गैर खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थना पत्र 14(4) इस स्तर पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार बसवा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि एवं वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित गैर खातेदारान के सम्बन्ध में पुनः जांच कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में भूमि आवंटन दिनांक 17.12.2004 के पश्चात् अपेक्षित तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त कर यदि तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी रिपोर्ट में गैर खातेदारान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना पाया जाता हो तो अपेक्षित दस्तावेज सहित प्रार्थना पत्र 14(4) पुनः न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। मूल आंवटन अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के भिजवाया जाकर तहसीलदार बसवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे [illegible] लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official